बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

E-mail पत्रांक-6ए/वि01-1064/2017- 373

प्रेषक,

एस० सी० मिश्र,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक अंचल को छोड़कर)
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक प्रमंडल को छोड़कर),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक-27/2/18

विषय: दिनांक-24.02.2018 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय कार्यो की समीक्षा बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक-24.02.2018 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के दौरान दिए गए निम्नलिखित निदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जाय:-

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन में निविदादाता का Bid Capacity योजना की निविदित राशि से कम होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाय।
2. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा अंतर्गत शाहपुर एवं नेकनाम टोला बहुग्रामीय पाईप जलापूर्त्ति योजना की निविदा सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए क्रमशः दिनांक-15.03.2018 तथा दिनांक-20.03.2018 तक निश्चित रूप से आमंत्रित कर दी जाय।
3. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत सिमरी बहुग्रामीय पाईप जलापूर्त्ति योजना की अंतिम मापी निश्चित रूप से दिनांक-15.03.2018 तक पूर्ण कर ली जाय।
4. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व, भागलपुर अंतर्गत कहलगाँव बहुग्रामीय जलापूर्त्ति योजना अंतर्गत 'हर घर नल का जल' के तहत सभी परिवारों को आच्छादित करते हुए दिनांक-15 मई, 2018 तक निश्चित रूप से योजना को पूर्ण कर ली जाय।

5. आपदा प्रबंधन अंतर्गत पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा आगामी गर्मी के मौसम में सूखा प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए Tanker के माध्यम से जलापूर्त्ति सुनिश्चित करने एवं चापाकलों की मरम्मति हेतु राशि की अधियाचना दिनांक-07.03.2018 तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।

6. 'मुख्यमंत्री चापाकल योजना' अंतर्गत जिन माननीय विधायक से अनुशंसित स्थल अनुपलब्ध है, उसकी सूची दिनांक-26.02.2018 तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाय। साथ ही यदि पूर्व में स्वीकृत इस योजना को मार्च, 2018 के बाद तक विस्तार की आवश्यकता हो, तो कारण सहित मुख्यालय को सूचित किया जाय।

7. पुर्न: निविदा के आमंत्रण में शीघ्रता बरती जाय। निविदा प्रकाशन की तिथि निर्धारित करते हुए निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से कम से कम पाँच दिन पूर्व सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्राप्त करा दी जाय तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि निर्धारित निविदा प्रकाशन की तिथि के 10 (दस) दिन के अन्तर पर रखी जाय। e-proc पर भी निविदा संलेख निविदा प्रकाशन की तिथि के पूर्व अपलोड करा दी जाय।

विश्वासभाजन,
27.2.18
(एस० सी० मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-573 पटना, दिनांक-27/2/18

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/ मुख्य अभियंता(नागरिक/रूपांकण/यांत्रिक)/ संयुक्त सचिव(प्र0को0)/ विशेष पदाधिकारी/ निदेशक,CCDU / निदेशक, PMU/ मुख्य अभियंता नागरिक के प्रावैधिक सचिव/ कार्यपालक अभियंता (मो0-1)/ उप निदेशक(मू0)/ कार्यपालक अभियंता(मो0-2)/ कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/ उप निदेशक(अन्वेषण)/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.2.18
(एस० सी० मिश्र)
अभियंता प्रमुख